राजस्व मण्डल म०प्र०
न्यायालय [illegible] महोदय जिला ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक /१६-१७ निगरानी R 1107-PBR-17

(77)

श्री राजेन्द्र शर्मा एडवो०
द्वारा आज दि. 5-4-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगमन सिंह पुत्र स्व० श्री देवी सिंह
निवासी ग्राम द्वारिकागंज तहसील व जिला
ग्वालियर ---- आवेदक

बनाम

१- पानाबाई पत्नी स्व० सीताराम
२- सैन्ना
३- जहान सिंह
४- हरिराम पुत्रगण स्व० श्री सीताराम
समस्त निवासीगण ग्राम द्वारिकागंज तहसील
व जिला ग्वालियर। म०प्र०।

---- आवेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक ६-१२-०१६ जो न्यायालय नायब तहसीलदार
वृत्त मुरार ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक २।७५।अ-७० मे
पारित किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1107–पीबीआर/2017 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निष्कर्ष किया गया है कि उसे पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है । उपरोक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	